


3. यह कि प्रार्थी/अपीलान्त पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई तामिल नहीं कराई गई, ना ही प्रार्थी अपीलान्त को कभी अधिनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त हुआ, ना ही प्रार्थी के परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य पर कोई तामिल की गई है। ना ही प्रार्थी अपीलान्त के मकान पर कोई चस्पानगी की गई। इस तरह धारा 59 राज० लैण्ड रेवेन्यू: एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस कारण आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थी पर आयद दण्ड द्वितीय नोटिस पर दिया जाना बताया है। जबकि प्रार्थी/अपीलान्त पर कभी भी किसी भी नोटिस की तामिल नहीं हुई है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्त को न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त से वंचित रखा गया है। इस कारण आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि प्रार्थी/अपीलान्त ने अपीलाधीन भूमि अथवा अन्य किसी भी भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि प्रार्थी/अपीलान्त एक वृद्ध व्यक्ति है। जेल में प्रार्थी की सार-सम्भाल नहीं हो पायेगी। तथा जेल में प्रार्थी की मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्त के विरुद्ध पारित कारावास का आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है।
7. यह कि प्रार्थी ने कभी भी अपीलाधीन भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। तथा इस बाबत प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं मिला है। फिर भी प्रार्थी इस बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष यह बन्ध पत्र देने के लिये तैयार है कि अपीलाधीन भूमि पर उसका कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना ही वह भविष्य में कोई कब्जा करेगा। तथा माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित पेनल्टी अदा करने को तैयार है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
8. यह कि कानूनन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु श्रीमान तहसीलदार को ही अधिकृत किया गया है। इस कारण श्रीमान उप तहसीलदार हरसौरा को अपीलाधीन आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
9. यह कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।
10. यह कि जानकारी से अपील अन्दर मियाद है जिसके लिये अलग से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
11. यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
12. यह कि माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।
13. अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार हरसौरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2025 अपास्त करने की कृपा करे।
14. अपील प्राप्त होने पर इसे नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज किया गया। तत्पश्चात, रेस्पोंडेन्ट को सम्मन/नोटिस जारी कर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा विचारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
15. वकील अपीलान्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का बबेडी ने एक रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्त का वाके ग्राम भेड़ीवास के आराजी खसरा नम्बर 465/277 रकबा 7.5980 हैक्टेयर में से रकबा 0.75 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा काश्त पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने न तो विवादित भूमि की कोई आधिकारिक पैमाइश करवाई और न ही अपीलान्त को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अपीलान्त अपनी निजी खातेदारी भूमि का वैध स्वामी एवं काबिज काश्तकार है। पूर्व में ही यह निवेदन किया गया था कि यदि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पैमाइश के दौरान सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो वह उसे स्वतः हटा लेगा, किंतु वर्तमान में मौके पर कोई भी अतिक्रमण शेष नहीं है, जिसकी पुष्टि फर्द मौका बेदखली की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है। अतः इन तथ्यों के प्रकाश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2025 को पारित मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय निरस्त करने की कृपा करें।
16. पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम भेड़ीवास के आराजी खसरा नम्बर 465/277 रकबा 7.5980 हैक्टेयर में से रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उक्त अतिक्रमण प्रमाणित पाए जाने के आधार पर ही बेदखली एवं दण्ड के आदेश पारित किए गए

हैं, जो पूर्णतः विधि सम्मत हैं। अप्रार्थी/अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है इसलिए अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना योग्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।

17. हमने उभय पक्षों की बहस एवं कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं उप-तहसीलदार हरसौरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलान्त एवं उनके योग्य अधिवक्ता अनुसार पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे बिना पैमाईश किये मात्र कयास के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्त के विरुद्ध झुंठी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुने बिना तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजात पर गौर नहीं कर निर्णय पारित कर अपीलान्त के बेदखली पैनल्टी जमा कराने के साथ-साथ पश्चातवृत्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये हैं। वर्तमान में अपीलान्त द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। जो फर्द मौका बेदखली ग्राम भेडीवास की रिपोर्ट से प्रमाणित है। चूँकि अपीलान्त को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है इसलिए इस चेतावनी के साथ सजा माफ कि जाती है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्त की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर के शेष आदेश बेदखली पैनल्टी आदि सभी यथावत रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 25.12.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा (कोटा जिला)
कोटा